



2467/11

दस्तावेज 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2467 / 05 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक : ०१ सितम्बर 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्ता कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	433802011001024	IFSC Code UBIN0558605	373 430

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्ता की धनराशि का प्रेषण
1	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	बूनकर कालोनी में पिवरोड से नजीर का मकान होते हुये सुलेमान के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.829
2	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	बूनकर कालोनी में महमूद के मकान से इजहार के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	7.171
3	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 31 मुहल्ला बलाकीपूरा में शितला मन्दिर के दक्षिणी दिवाल के ट्रान्सफार्मर से मन्जूर अहमद के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	11.344
4	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 31 मुहल्ला बुलाकीपूरा में सुरेन्द्र वर्मा के मकान से डोम बरती तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.180
5	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 10 मुहल्ला नवापूरा में भरहू का पूरा, सरकारी ट्यूबवेल और ट्रान्सफार्मर के बीच से याकुब का मकान होते हुये मरिजद दलाल के अहाता तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.997
6	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 मऊ	वार्ड सं० 10 मुहल्ला नवापूरा में रामा यादव के मकान से पुलिया तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.598
7	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० घोसी	वार्ड सं० 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में मरहूम हबीबुल्लाह के मकान से फहीम के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.106
8	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० घोसी	वार्ड सं० 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में गुंजन गिया के मकान से इसराईल के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.288
9	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0प० घोसी	वार्ड सं० 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी में वक्तियार के मकान से फजलेहक के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1.526



326/2

दूरभाष - 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
10	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० घोसी	वार्ड सं० 08 कशीमुद्दीनपुर दक्षिणी में सुफिया एनुलहक के मकान से डा० कलीम के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1.526
11	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० घोसी	वार्ड सं० 09 मदापुर उत्तरी में जफर के मकान से हबीबुल्लाह के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1.846
12	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मोहमदाबाद गोहना	मु० जमालपुर में मऊ रोड से राजेश यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.614
13	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मोहमदाबाद गोहना	मु० जमालपुर में मऊ रोड से सरकारी हास्पिटल से चौहान बस्ती जमालपुर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	14.400
14	मऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मोहमदाबाद गोहना	मु० गहरूपुर मदरसा फैजूल उलूम से बंधा तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	7.683
15	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 20 मुहल्ला इमिलिया में शैलेन्द्र के मकान से रामअवध का मकान होते हुये, अजय व राकेश के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	15.031
16	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 20 मुहल्ला इमिलिया में निशा के घर से रामा व मोहन के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.828
17	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 20 मुहल्ला इमिलिया में डा० ओ०पी० सिंह के घर से अनिल तथा संतोष राय से अशोक शैलेन्द्र से चन्द्रप्रकाश से सुशील के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.981
18	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 20 मुहल्ला इमिलिया में फातिमा सी०सी० रोड से रामबदन के मकान से रमाशंकर फूलबदन एवं मुन्ना से गनपति के मकान तक मिट्टी भराई, नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.635
19	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 20 मुहल्ला इमिलिया में विनोद के मकान से अंशुमान ओमप्रकाश के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.411
20	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 20 मुहल्ला इमिलिया में राजेश के घर से जितेन्द्र व रामप्रकाश के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.355
21	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 20 मुहल्ला इमिलिया में अनिल के घर से अखिलेश व गीरबहादुर के घर होते हुए राजकुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.872
22	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 20 मुहल्ला इमिलिया में अभिमन्यु के घर से राजकिशोर के घर होते हुए शिवशंकर के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.855
23	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 20 मुहल्ला इमिलिया में बुनकर कार्लोनी पिचरोड से मनीष योगेन्द्र श्रीराम मुन्नी लाल, परमानन्द, फूलबदन, व रामविलास सैनी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.080



336/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नया योजना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
24	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० मुहम्मदाबाद	फरीदपुर में सामुदायिक केन्द्र से रेलवे स्टेशन तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.514
25	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० मुहम्मदाबाद	फरीदपुर में मनोज के घर से विरेन्द्र के घर होते हुये क्यामपुर रोड तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	12.732
26	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० मुहम्मदाबाद	फरीदपुर में डा० सीताराम के घर से प्रमोद के घर होते डा० सुखराम के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	13.959
27	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०प० अदरी	वार्ड सं० 02 मुहल्ला कान्दूटोला में शहीद रोड अदरी चट्टी से साधू की कूटी तक घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	6.321
28	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 02 मुहल्ला गालिवपुर में नौरापुर मोड़ से ज्ञानध्यान विद्यालय तक मिट्टी भराई इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.506
29	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 02 मुहल्ला गालिवपुर में प्रकाश के मकान से संजय जैन के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.390
30	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 02 मुहल्ला गालिवपुर में लेदरू के मकान से अबुज के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.054
31	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 02 मुहल्ला गालिवपुर में हरखू के घर से रामबचन का घर होते हुये बबलू यादव के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	17.794
32	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 09 मुहल्ला निजामुद्दीनपुरा में माधव होटल के पास अंजनी सिंह के घर से डा० सच्चिदानंद राय के मकान होते हुये अखिलेश मिश्रा के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	13.043
33	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 03, मो० रामपुर चकिया में रामवृक्ष के मकान से संतु मौर्या के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.551
34	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड सं० 18 मो० हकीकतपुरा में मुख्तार अहमद के मकान से केदार बनारसी के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.080
35	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 18 मो० हकीकतपुरा में सागू चौहान के मकान से रामकिशुन के ट्यूबेल तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.441
36	मऊ	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा०प० मऊ	वार्ड नं० 18 मो० हकीकतपुरा में पुरानी आर०टी०ओ० आफिस के सामने से मुराहर बस्ती कमला के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.889
	योग				373.430

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना-तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।



536/4

दूरभाष- 2286709
2286710

नव देतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो किभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किस्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक